30, अप्रैल, 2020 शासकीय आदेश 2020-32

<u>शासकीय आदेश 2020-32</u>

<u>(COVID-19 शासकीय आदेश संख्या. 30)</u>

जबकि, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है; तथा,

जबकि, यह महत्वपूर्ण है कि इलिनॉय के जो निवासी बीमार हो जाते हैं उनका चिकित्सा पेशेवरों द्वारा इलाज किया जाए, जिसमें अस्पताल का बिस्तर, आपातकालीन कक्ष का बिस्तर, या वेंटिलेटर की आवश्यकता शामिल है; तथा,

जबकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि राज्य के स्वास्थ्य देखभाल और प्रथम प्रतिक्रिया कार्यबल के पास मरीजों का सुरक्षात्मक तरीके से इलाज करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदाओं पर कार्यवाही करने, और संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) हों; और,

जबकि, कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) एक गंभीर और विकट श्वसन रोग है, जो सांसों के माध्यम से लोगों में फैल गई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 जनवरी, 2020 को COVID-19 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता करने योग्य सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया, और संयुक्त राज्य स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव (United States Secretary of Health and Human

Services) ने 27 जनवरी, 2020 को घोषणा की कि COVID-19 एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति प्रस्तुत करता है; और,

जबकि, 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID-19 प्रकोप को एक वैश्विक महामारी के रूप में चिन्हित किया, और 30 अप्रैल, 2020 तक पूरे विश्व में COVID-19 के 3 मिलियन से अधिक पुष्टिकृत मामले एवं COVID-19 के कारण 200,000 मौतों की रिपोर्ट कर चुका है; और,

वर्तमान में, COVID-19 के लिए कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है और, 24 अप्रैल, 2020 को, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी कि वर्तमान में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जो लोग COVID -19 से ठीक हो चुके हैं और जिनके शरीर में एंटीबॉडीज हैं वे दूसरी बार संक्रमित नहीं हो सकते; तथा,

जबकि, COVID-19 को रोकने के प्रयासों के बावजूद, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रोग नियंत्रण और रोकथाम के संघीय केंद्रों (federal Centers for Disease Control and Prevention) (CDC) ने संकेत दिया कि वायरस का प्रसार जारी रहने की उम्मीद है और यह वास्तव में तेजी से फैलता रहा, जिसके परिणामस्वरूप संघीय और राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है; और,

जबकि, रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र, (CDC) वर्तमान में यह अनुशंसा करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के समस्त निवासी COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सावधानियां बरतें जिनमें यह शामिल है कि वे: (1) जितना संभव हो सके घर में रहें; (2) यदि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़े, तो वे दूसरों से 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाकर रखें और सभी सामाजिक समारोहों से बचकर रहें; (3) जहां सामाजिक दूरी को बनाए रखना मुश्किल हो; वहां लोगों के मध्य अपने चेहरे पर कपड़े का मास्क पहने, और (4) बुखार, खांसी, या सांस की तकलीफ जैसे लक्षणों से सतर्क रहें और यदि लक्षण विकसित होते हैं तो उन लोगों का तापमान ले लें; और (5) स्वच्छ रहें जिसमें ठीक से हाथ धोना शामिल है; तथा,

जबकि, परिवार के सदस्यों, देखभालकर्ताओं, और अन्य व्यक्ति जिनका COVID-19 के लक्षण वाले किसी व्यक्ति से निकट संपर्क, लक्षणों के दिखने के 48 घंटे पूर्व से लेकर व्यक्ति के होम आइसोलेशन समाप्ति के मापदंडों को पूरा करने तक के दौरान हुआ हो, उनके लिए CDC निम्नलिखित सावधानियों की अनुशंसा करता है: (1) अंतिम रोगी-संपर्क के बाद से 14 दिनों तक घर पर ही रहें और सारे समय अन्य लोगों से सामाजिक दूरी (कम-से-कम 6 फ़ीट) बनाए रखें; (2) लक्षणों की स्वयं निगरानी करें, जिसमें दिन में दो बार अपना तापमान लेना और बुख़ार, खांसी, या

सांस फूलने के प्रति सजग रहना शामिल है; और (3) गंभीर रोग के उच्च जोख़िम वाले लोगों से संपर्क से बचें (बशर्ते वे उसी घर में न रहते हों और वैसा ही रोग-संपर्क न हुआ हो); और,

जबकि, COVID-19 से संबंधित परिस्थितियां तेजी से बदलती रहती हैं, लगातार मिलने वाले सबूतों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से प्राप्त होने वाली सूचना और मार्गदर्शन में लगातार बदलाव हुए हैं; और,

जबकि, 30 अप्रैल, 2020 तक, 97 इलिनॉय काउंटियों में COVID-19 के लगभग 53,000 पुष्टिकृत मामले और COVID-19 से 2,350 मौतें हुई हैं; और,

जबकि, अध्ययनों से पता चलता है कि हर पुष्ट मामले के साथ कई और अज्ञात मामले होते हैं, जिनमें से कुछ लक्षण रहित व्यक्ति होते हैं, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति अनजाने ही दूसरों को वायरस दे सकते हैं; और,

जबकि, जैसे जैसे वायरस इलिनॉय में फैला है, राज्य के सामने संकट बढ़ा है और अब एक लगातार विकसित होती प्रतिक्रिया की आवश्यकता है ताकि अस्पताल, स्वास्थ्य कर्मी और प्रथम प्रतिक्रिया देने वाले लोग इलिनॉय के सभी निवासियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करें, और यह लगातार अपडेट होने वाले CDC के मार्गदर्शन के अनुरूप हो; और,

जबकि, इलिनॉय अस्पताल के बिस्तरों, ICU बिस्तरों, और वेंटीलेटरों की बड़ी संख्या का उपयोग कर रहा है, क्योंकि COVID-19 के मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है, और अगर यह मामले और बढ़ने वाले हों, तो राज्य को इन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य रक्षा संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ेगा; और,

जबकि, इलिनॉय में वर्तमान में अस्पताल के कुल 32,010 बिस्तर हैं और साथ में 3,631 ICU बिस्तर हैं, इनमें से, 30 अप्रैल, 2020 को राज्य में अस्पताल के केवल 33% और ICU के 25% बिस्तर उपलब्ध थे, और शिकागो क्षेत्र में ICU के केवल 17% बिस्तर उपलब्ध थे; और,

जबकि, राज्य ने COVID-19 से होने वाली मौतों और ICU उपयोग के दो माह के दैनिक डेटा का विश्लेषण करने और संभावित परिणामों का पता लगाने के लिए अर्बाना-शाम्पेन के इलिनॉय विश्वविद्यालय, नोर्थवेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन, शिकागो विश्वविद्यालय, शिकागो और इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ के साथ ही मिकिंसे और मीयर कंसल्टिंग ग्रुप, और सिविस एनालिटिक्स के शीर्ष शोधकर्ताओं के साथ काम किया; और,

जबकि, राज्य की मॉडलिंग बताती है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग की उच्चतम सीमा मई तक नहीं आएगी, और यह कि स्वास्थ्य संसाधन इस उच्चतम सीमा के बाद भी सीमित ही रहेंगे; और,

जबकि, राज्य की मॉडलिंग बताती है कि विस्तृत सामाजिक दूरी और अन्य सावधानियां रखे बिना, राज्य के पास पर्याप्त संख्या में अस्पताल के बिस्तर, ICU के बिस्तर या वेंटीलेटर नहीं होंगे; और,

जबकि, इलिनॉय में वर्तमान में अस्पतालों में 32,010 बिस्तर हैं, और राज्य की मॉडलिंग बताती है कि यदि 'स्टे ऐट होम' आदेश लागू ना हो तो, अस्पताल के 100,000 से अधिक बिस्तरों की आवश्यकता होगी; और,

जबकि, इलिनॉय में वर्तमान में अस्पतालों में 3,631 ICU बिस्तर हैं, और राज्य की मॉडलिंग बताती है कि यदि 'स्टे ऐट होम' आदेश लागू ना हो तो, ICU के 25,000 से अधिक बिस्तरों की आवश्यकता होगी; और,

जबकि, इलिनॉय में वर्तमान में अस्पतालों में कुल 3,378 वेंटीलेटर हैं, और राज्य की मॉडलिंग बताती है कि यदि 'स्टे ऐट होम' आदेश लागू ना हो तो, 20,000 से अधिक वेंटीलेटरों की आवश्यकता होगी; और,

जबकि, और राज्य की मॉडलिंग बताती है कि यदि 'स्टे ऐट होम' आदेश लागू ना हो तो, COVID-19 के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा 10 से 20 गुना अधिक होगा; और,

जबकि, मैंने 30 अप्रैल, 2020 को इलिनॉय राज्य की सभी काउंटी में आपदा क्षेत्र घोषित किया, क्योंकि इलिनॉय में कोविड-19 के प्रसार के कारण वर्तमान परिस्थितियां इलिनॉय आपातकाल मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट की धारा 4 (Section 4 of the Illinois Emergency Management Agency Act) के तहत एक महामारी और लोक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति उत्पन्न करती हैं; और,

जबकि, मैंने 30 अप्रैल, 2020 को इलिनॉय राज्य की सभी काउंटी में आपदा क्षेत्र घोषित किया, क्योंकि अस्पताल के बिस्तर, ICU के बिस्तर, वेंटिलेटर, और PPE की गंभीर कमी और COVID-19 की टेस्टिंग क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की जरुरत के आस-पास की मौजूदा परिस्थितियां, इलिनॉय आपातकाल मैनेजमेंट एजेंसी कानून की धारा 4 (Section 4 of the Illinois Emergency Management Agency Act) के तहत एक लोक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति उत्पन्न करती हैं; और,

जबकि, इलिनॉय का संविधान, अनुच्छेद V, धारा 8 में, यह प्रदान करता है कि "राज्यपाल के पास सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति होगी, और वह कानूनों के न्यायसंगत निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा," और प्रस्तावना में कहता है कि, इलिनॉय के संविधान का केंद्रीय उद्देश्य है "लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करना," और,

जबकि, पूरे इलिनॉय राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बीमार लोगों की सेवा करने में सक्षम है, मुझे COVID-19 के प्रसार को धीमा करने और रोकने के लिए और अस्पताल के बिस्तर, ICU बिस्तर, वेंटिलेटर, और PPE की कमी को दूर करने और COVID-19 टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए; सार्वजनिक स्वास्थ्य के दिशा-निर्देशों के अनुरूप महत्वपूर्ण उपाय करना आवश्यक लगता है; तथा;

इसलिए, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7 (1), 7 (2), 7 (3), 7 (8), 7 (9), और 7 (12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं 1 मई, 2020 से प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूं:

अनुभाग 1. अपने घर से बाहर निकलने वाले लोगों और व्यवसायों के लिए लोक स्वास्थ्य की अपेक्षाएं

1. **<u>सार्वजनिक स्थानों पर या काम के स्थान पर चेहरे को ढंकना</u>।** कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु दो वर्ष से अधिक है और जो चिकित्सकीय दृष्टि से चेहरे के ढंकने को सहन कर सकता है (एक मास्क या चेहरे को ढंकने वाला कपड़ा), को लोगों के बीच होने पर और छह फीट की सामाजिक दूरी कायम ना रख पाने पर अपने नाक और मुंह को ढंकना होगा। सार्वजनिक इनडोर स्थानों जैसे स्टोर्स में फेस-कवरिंग की आवश्यकता होती है।

2. **<u>अत्यावश्यक स्टोर्स से अपेक्षाएं।</u>** खुदरा स्टोर (इनके सहित, लेकिन सीमित नहीं, स्टोर्स जो कि किराने का सामान और दवा बेचते हैं, हार्डवेयर स्टोर, और ग्रीनहाउस, गार्डन सेंटर, और नर्सरी) जिन्हें इस आदेश के तहत आवश्यक व्यवसाय और गतिविधियों के रूप में निर्दिष्ट किए गया है वहां यथासंभव अधिक से अधिक निम्न बातों का ध्यान रखा जाएगा:

- उन सभी कर्मचारियों को फेस कवरिंग प्रदान करें जो हर समय न्यूनतम छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं;
- स्टोर में जितने लोगों के खड़े होने की क्षमता हो उसके 50 प्रतिशत तक ही लोगों को आने दें, या, वैकल्पिक रूप से, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इकॉनॉमिक ऑपोरचुनिटी (Department of Commerce and Economic Opportunity) द्वारा आपके स्टोर के वर्ग फुट के आधार पर निर्धारित की गई सीमा तक;
- जहां व्यवहारिक हो दुकान के गलियारों को वन-वे करें ताकि दो ग्राहकों के मध्य में अधिकतम स्थान हो और पहचानसूचक बोर्डों द्वारा या चिन्हों द्वारा इन गलियारों की ओर ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करें;
- इस आदेश में निर्धारित सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं के बारे में; इन-स्टोर साइनेज और सार्वजनिक सेवा घोषणाओं और विज्ञापनों के माध्यम से ग्राहकों से संवाद करें, और
- पुन: उपयोग में आने वाले बैग का उपयोग बंद करें।

परिवारों को अपने उन सदस्यों की संख्या को आवश्यक न्यूनतम तक सीमित करना होगा जो स्टोर में जाते हैं।

3. **<u>गैर-अत्यावश्यक स्टोर्स से अपेक्षाएं।</u>** खुदरा स्टोर्स जो अत्यावश्यक व्यवसाय और गतिविधि के अंतर्गत चिन्हित नहीं किए गए हैं वे स्टोर के बाहर से ही पिक-अप और डिलीवरी के द्वारा टेलीफोन और ऑनलाइन आर्डर पुरे करने के सीमित उद्देश्य के लिए पुनः खुल सकते हैं – इन्हें न्यूनतम मूलभूत कार्य समझा जाता है। स्टोर में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए, और जब वे किसी दूसरे कर्मचारी या ग्राहक के छह फीट के दायरे में आते हैं, तो उन्हें चेहरा ढंकना चाहिए।

4. **<u>निर्माताओं से अपेक्षाएं।</u>** निर्माता जो इस आदेश के अनुसार काम करना जारी रखते हैं, उन्हें सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए और उचित सावधानी बरतनी चाहिए, जिसमें निम्न बातें शामिल हो सकती हैं:
   - उन सभी कर्मचारियों को फेस कवरिंग प्रदान करें जो हर समय न्यूनतम छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं;
   - कर्मचारियों की काम की पालियां बदलें;

- लाइन की गति कम करें;
- अत्यावश्यक लाइन में ही काम करें, गैर-जरुरी लाइनों को बंद कर दें;
- यह सुनिश्चित करना कि सभी स्थान जहां कर्मचारी एकत्रित हो सकते हैं, जिसमें लॉकर रूम और लंचरूम शामिल हैं, सामाजिक दूरी के लिए अनुमति देते हैं; और
- सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए और COVID-19 आपातकाल के समय में एक सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करने के लिए जहां तक आवश्यक हो अपने कार्यों में कटौती करना।

5. **<u>सभी व्यवसायों से अपेक्षाएं</u>।** सभी व्यवसायों को मूल्यांकन करना चाहिए कि कौन से कर्मचारी घर से काम करने में सक्षम हैं, और जब संभव हो घर से दूरस्थ रूप से कार्य की सुविधा देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। सभी व्यवसाय जिनमें कर्मचारी शारीरिक रूप से कार्य-स्थल पर रिपोर्टिंग करते हैं को COVID-19 आपातकाल के दौरान कार्यस्थल की सुरक्षा के संबंध में इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ (IDPH) और इलिनॉय अटॉर्नी जनरल के कार्यालय से प्राप्त मार्गदर्शन को पोस्ट करना चाहिए। मार्गदर्शन IDPH वेबपेज पर पोस्ट किया जाएगा।

अनुभाग 2. घर पर रहना; सामाजिक दूरी की अपेक्षाएं; और अत्यावश्यक व्यवसाय एवं गतिविधियां

1. **<u>अपने घर पर या निवास पर रहना</u>।** नीचे दिए गए अपवादों के साथ, वर्तमान में इलिनॉय राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को आदेश दिया जाता है कि वे घर पर ही रहें या अपने रहने के स्थान पर रहें, उसके अलावा जबकि इस शासकीय आदेश द्वारा अनुमति दी गई हो। अपने घर से बाहर जब भी व्यक्ति शेयर्ड या आउटडोर स्थानों का उपयोग कर रहे हों, उन्हें हमेशा और यथोचित रूप से जितना संभव हो किसी भी अन्य व्यक्ति से छह फीट की सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए, जो इस शासकीय आदेश द्वारा निर्धारित सामाजिक दूरी की जरूरतों के अनुरूप है। सभी व्यक्ति अपने घरों या निवास स्थान को केवल आवश्यक गतिविधियों, आवश्यक सरकारी कार्यों के लिए, या आवश्यक व्यवसायों और गतिविधियों को संचालित करने के लिए छोड़ सकते हैं, जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है।

बेघरबार स्थिति वाले व्यक्तियों को इस निर्देश से छूट है, लेकिन उन्हें आश्रय प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से आग्रह किया जाता है, और सरकारी और अन्य संस्थाओं से इस तरह के आश्रय को जल्द से जल्द और व्यवहारिक रूप से अधिकतम सीमा तक उपलब्ध कराने का दृढ़ता से आग्रह किया जाता है (और उनके संचालन में उपयोग करने के लिए COVID-19 जोखिम शमन प्रथाओं, जिन्हें U.S. सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) और इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ (IDPH)) द्वारा अनुशंसित किया गया है, का उपयोग करने हेतु द्वारा आग्रह किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके निवास असुरक्षित हैं या असुरक्षित बन जाते हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा के पीड़ित, उन्हें अनुमति दी जाती है और उन्हें अपना घर छोड़ने और सुरक्षित वैकल्पिक स्थान पर रहने का आग्रह किया जाता है। इस शासकीय आदेश के प्रयोजन के लिए, घरों या आवासों में होटल, मोटल, साझा किराये की इकाइयाँ, आश्रय और इसी तरह की सुविधाएं शामिल हैं।

2. **<u>गैर-आवश्यक व्यवसाय और गतिविधियां बंद होनी चाहिए।</u>** राज्य में सभी व्यवसायों और गतिविधियों, केवल अत्यावश्यक व्यवसायों और गतिविधियों को छोड़कर, जिन्हें नीचे परिभाषित किया गया है, को राज्य के भीतर सभी गतिविधियों को रोकने के लिए निर्देशित किया जाता है, केवल न्यूनतम मूलभूत कार्यों को छोड़कर, जिन्हें नीचे परिभाषित किया गया है। स्पष्टता के लिए, व्यवसाय अपने कार्यों को इस तरह से भी जारी रख सकते हैं जबकि कर्मचारी या कांट्रेक्टर अपने स्वयं के निवास पर ही कार्य कर रहे हों (यानि वर्क फ्रॉम होम)।

   सभी आवश्यक व्यवसाय और गतिविधियां इस आदेश में व्यक्त किए गए प्रावधानों और इस आदेश के इरादे के अनुरूप खुले रह सकते हैं, जो नीचे धारा 2, पैरा 16 में दिए गए हैं। जितना अधिक व्यवहार्य हो सके, अत्यावश्यक व्यवसाय और गतिविधियां सामाजिक दूरी की जरूरतों का पालन करेंगे जैसा कि इस शासकीय आदेश में परिभाषित किया गया है, जिसमें कर्मचारियों और अन्य लोगों के द्वारा हमेशा छह फीट की सामाजिक दूरी का पालन करना शामिल है, इसमें ग्राहकों के लाइन में खड़े होने पर इसका पालन करना भी शामिल है, परंतु यह बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है।

3. **<u>प्रतिबंधित गतिविधियां।</u>** किसी भी एकल घरेलू या रहवासी इकाई के बाहर होने वाले कितनी भी संख्या वाले सभी सार्वजनिक और निजी समारोहों को प्रतिबंधित किया जाता

है, सिवाय सीमित उद्देश्य वाले उन कार्यक्रमों के लिए जिन्हें इस शासकीय आदेश के द्वारा अनुमति दी गई है। CDC से प्राप्त वर्तमान मार्गदर्शन के अनुरूप, **दस** से अधिक लोगों की किसी भी सभा को निषिद्ध किया जाता है जब तक कि इस शासकीय आदेश द्वारा छूट न दी गई हो। इस शासकीय आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं जो किसी एक घर या निवास के सदस्यों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाता हो।

सार्वजनिक मनोरंजन के सभी स्थान, चाहे घर के अंदर हों या बाहर, जिसमें निम्न शामिल हैं परंतु यहीं तक सीमित नहीं हैं, मनोरंजन की सवारियां, कार्निवाल, मनोरंजन पार्क, वाटर पार्क, एक्वैरियम, चिड़ियाघर, संग्रहालय, आर्केड, मेले, बच्चों के खेल केंद्र, खेल के मैदान, फन प्लेक्सेस, थीम पार्क, बोलिंग एली, फिल्म और अन्य थिएटर, संगीत समारोह और संगीत हॉल, और देसी क्लब या सामाजिक क्लब जनता के लिए बंद हो जाएंगे।

4. **<u>प्रतिबंधित और अनुमति प्राप्त यात्रा</u>।** सभी यात्राएं, जिनमें शामिल हैं परंतु यहीं तक सीमित नहीं, वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बाइसिकल, ट्रेन, प्लेन, द्वारा या सार्वजनिक यातायात से यात्रा, सिवाय यहां परिभाषित अत्यावश्यक यात्रा और अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर, प्रतिबंधित हैं। सार्वजनिक यातायात की सवारी करने वाले लोगों को सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं का यथासंभव व्यवहार्य सीमा तक पालन करना चाहिए। यह शासकीय आदेश आवश्यक व्यवसाय और गतिविधियों और न्यूनतम बुनियादी कार्यों को बनाए रखने के लिए राज्य के भीतर या बाहर यात्रा करने की अनुमति देता है।

5. **<u>आवश्यक गतिविधियों के लिए घर छोड़ने की अनुमति है</u>।** इस शासकीय आदेश के प्रयोजनों के अनुसार, व्यक्ति केवल निम्नलिखित आवश्यक गतिविधियों में से किसी को निष्पादित करने के लिए अपना निवास स्थान छोड़ सकते हैं, और उन्हें इस आदेश में निर्धारित सामाजिक दूर की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर या काम पर चेहरा ढंकना शामिल है:

   a. **<u>स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए।</u>** इस तरह की गतिविधियों में शामिल होना या ऐसे कार्य करना जो उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक हों, या उनके परिवार या घर के सदस्यों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक हों (जिनमें शामिल हैं, परंतु यहीं तक सीमित नहीं, पालतू पशु) जैसे केवल उदाहरण के

लिए और किसी सीमा के बिना, आपातकालीन सेवाओं की मांग करना, चिकित्सकीय सामान या दवाईयां प्राप्त करना, या किसी चिकित्सक से मिलने जाना।

b. **<u>आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के लिए</u>।** अपने और अपने परिवार या घर के सदस्यों के लिए आवश्यक सेवाएं या आपूर्ति प्राप्त करना, या अन्य लोगों को वे सेवाएं या आपूर्ति पहुंचाना, जैसे केवल उदाहरण के रूप में और किसी सीमा के बिना, किराना और खाद्य सामग्री, घरेलु उपभोग का सामान, वर्क फ्रॉम होम के लिए आपूर्ति, एवं निवासों की सुरक्षा, स्वच्छता और अत्यावश्यक संचालन को जारी रखने के लिए जरुरी वस्तुएं।

c. **<u>घर के बाहर की गतिविधि के लिए</u>।** आउटडोर गतिविधियों में शामिल होना, जबकि लोग सामाजिक दूरी की जरूरतों का पालन करते हों, जिन्हें नीचे परिभाषित किया गया है, जैसे कि, उदाहरण के रूप में और बिना किसी सीमा के, पैदल चलना, हाईकिंग, दौड़ना और बाइकिंग करना। लोग सार्वजनिक बगीचों और खुले आउटडोर मनोरंजन क्षेत्रों में जा सकते हैं, इनमें राज्य शासन के कुछ विशिष्ट बगीचे शामिल हैं जो कुछ निश्चित गतिविधियों के लिए खुले रहते हैं, जिन्हें इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज (Illinois Department of Natural Resources) द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक ऑपर्च्युनिटी (Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity (DCEO) द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने पर ही मछली पकड़ने, नाव चलाने और गोल्फ खेलने की अनुमति दी जाती है। खेल के मैदान COVID-19 के प्रसार को बढ़ा सकते हैं, और इसलिए बंद कर दिए जाएंगे।

d. **<u>कुछ प्रकार के कामों के लिए।</u>** अत्यावश्यक व्यवसायों और कार्यों में अत्यावश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करने का कार्य करना (जिनमें, जैसे नीचे परिभाषित किया गया है, शामिल हैं लोक स्वास्थ्य के कार्य, मानव सेवा के कार्य, आवश्यक सरकारी कार्यक्रम, और आवश्यक बुनियादी ढाँचा) या अन्यथा ऐसी गतिविधियां करना जिन्हें इस शासकीय आदेश में विशेष रूप से अनुमति दी गई है, जिनमें न्यूनतम बुनियादी कार्य शामिल हैं।

e. **<u>औरों का ध्यान रखने के लिए</u>** किसी और परिवार के किसी सदस्य, मित्र या पालतू जानवर का ध्यान रखने के लिए, और इस शासकीय आदेश के द्वारा अनुमति प्राप्त परिवार के व्यक्ति, मित्र या पालतू जानवर को एक से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए।

f. **<u>धर्म के स्वतंत्र पालन में शामिल होना</u>** धर्म के स्वतंत्र पालन में शामिल होने के लिए यह ध्यान रखते हुए कि, इस प्रकार का धर्मपालन सामाजिक दूरी के अनुसार ही हो और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए CDC के निर्देशों को ध्यान मे रखते हुए दस से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने से जुड़ी सीमा का भी ध्यान रखा गया हो। धार्मिक संस्थाओं और उपासना स्थलों को अपने मण्डल के सदस्यों के स्वास्थ्य व सुरक्षा की रक्षा के लिए ऑनलाइन या ड्राइव इन सेवाओं के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

6. **<u>वृद्ध व्यक्तियों और बीमारी के कारण कमज़ोर हो गए व्यक्तियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए</u>।** वृद्धों और बीमार व्यक्तियों समेत वे लोग जिन्हें कोविड – 19 से अत्यधिक ख़तरा है, उनसे जब तक उनके लिए चिकित्सकीय सहायता के लिए बाहर जाना आवश्यक न हो तब तक यथासंभव अपने घर में ही रहने के लिए विनती की जाती है। इस शासकीय आदेश में कुछ भी इलिनोय के जन स्वास्थ्य विभाग अथवा स्थानीय जन स्वास्थ्य विभागों को जन स्वास्थ्य विभाग के Act 20 ILCS 2305 के अनुसार अलग करने व क्वारंटीन का आदेश जारी करने व उसे लागू करने से नहीं रोकता है।

7. **<u>स्वास्थ्य सेवा और जन स्वास्थ्य संचालन</u>।** इस शासकीय आदेश के उद्देश्य से, लोग अपने घरों से इसके लिए काम के लिए अथवा स्वास्थ्य सेवा और जन स्वास्थ्य संचालन से सेवाएँ पाने के लिए निकल सकते हैं।

   स्वास्थ्य सेवा और जन स्वास्थ्य संचालन में यह सभी शामिल हैं किन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: अस्पताल, दवाखाने, दंत चिकित्सालय, दवाई की दुकाने, जन स्वास्थ्य निकाय, जन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को एकत्र करने, उसे उचित रूप देने, विश्लेषण करने व उसका प्रसार करने वाली संस्थाओं सहित इकाइयां, दवा, दवा की दुकाने, चिकित्सकीय यंत्र व उपकरण, और बायोटेक्नोलोजी कंपनियाँ (संचालन, अनुसंधान व विकास, निर्माण व सप्लाई चेन सहित), रक्त, प्लेटलेट, प्लाज़्मा एवं अन्य आवश्यक

सामग्री; लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सकीय केनेबिस औषधालय, लाइसेन्स प्राप्त केनेबिस कृषि, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, चश्मे व कोंटेक्ट लेंस विक्रेताओं समेत आँखों की देखभाल के केंद्र, घर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, मानसिक स्वास्थ्य एवं सब्सटेंस यूज़ प्रदाता; अन्य स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं, और आपूर्ति और किसी भी संबन्धित और/ या सहायक स्वास्थ्य सेवाएँ; और चिकित्सा सामग्री व बची हुई सामग्री ले जाने और उसका निपटारा करने वाली इकाइयां।

विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा और जन स्वास्थ्य संचालन में सम्मिलित किए गए लोगों में उत्पादक, तकनीकीविद, लॉजिस्टिक्स और गोदाम संचालन व चिकित्सकीय उपकरणों (PPE), चिकिसकीय गेसों, दवाओं, रक्त व रक्त उत्पाद, टीके, जांच के लिए सामान, प्रयोगशाला के समान, सफाई, शुद्धीकरण, कीटाणुरोधन व विसंक्रमण सामग्री, टिश्यू व पेपर टॉवल उत्पाद आदि के वितरक शामिल हैं।

स्वास्थ्य व जन स्वास्थ्य संचालन में जानवरों की सेवा व उनसे जुड़ी सभी स्वास्थ्य सेवाएँ व उनको सँवारने से जुड़ी सेवाएँ शामिल हैं।

स्वास्थ्य सेवाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को वृहद् रूप में संचालित किया जायेगा जिससे कि स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़नेवाले किसी भी प्रभाव को टाला जा सके, व्यापक रूप से परिभाषित। स्वास्थ्य रक्षा और लोक स्वास्थ्य के कार्यों में फिटनेस और व्यायाम जिम, स्पा, सैलून, नाई की दुकानें, टैटू पार्लर और इसी तरह की सुविधाएं शामिल नहीं हैं।

8. **<u>मानव सेवा संचालन</u>।** इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति किसी भी मानव सेवा के अभियान के लिए काम करने या सेवा-लाभ प्राप्त करने के लिए अपना निवास स्थान छोड़ सकते हैं, जिसमें इलिनॉय के मानव सेवा विभाग, बच्चों और इलिनॉय के बाल एवं परिवार सेवा विभाग या राज्य द्वारा संचालित, संस्थागत, या समुदाय-आधारित आम-नागरिक को मानव सेवा प्रदान करने वाली सुविधा-संगठन समेत आम-नागरिक को सेवा प्रदान करने वाली मेडिकैड द्वारा वित्त पोषित कोई भी प्रदत्त सेवाएं शामिल हैं।

मानव सेवा अभियान में शामिल हैं, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है: दीर्घकालिक देखभाल सुविधाएं; बाल देखभाल अधिनियम, 225 ILCS 10 के अंतर्गत डे केयर सेंटर, डे केयर होम

और ग्रुप डे केयर होम जैसी लाइसेंस प्राप्त एवं उनका अनुपालन करने वाली सभी संस्थाएं, को छोड़कर, और इस कार्यकारी आदेश की धारा 2, अनुच्छेद 12 (अन्य) में निर्दिष्ट किए गए डे केयर सेंटर; इलिनोइस प्रशासनिक संहिता के शीर्षक 89 के तहत धारा 377.3(a)(1)-(a)(4), (b)(2), and (c) से लाइसेंस प्राप्त डे प्रोगाम को छूट; इलिनोइस प्रशासनिक संहिता के शीर्षक 89 के अंतर्गत धारा 377.3(d) द्वारा लाइसेंस प्राप्त डे प्रोगाम को छूट मिलती है (इस कार्यकारी आदेश के अनुच्छेद 12, धारा 1 में निर्धारित डे केयर होम को नियंत्रित करने वाली शर्तों के अधीन); जो आवासीय सुविधा और आश्रयों के लिए वयस्कों, वरिष्ठों, बच्चों, और/या, विकासात्मक विकलांगता से ग्रस्त लोगों, बौद्धिक अक्षमताओं, पदार्थों के उपयोग के विकार और / या मानसिक बीमारी; संक्रमणकालीन सुविधाएं; शारीरिक, बौद्धिक और / या विकासात्मक विकलांग, वरिष्ठ, वयस्कों और बच्चों के साथ लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए घर-आधारित सुविधाएं; क्षेत्र के कार्यालय जो भोजन, नकद सहायता, चिकित्सा कवरेज, बाल देखभाल, व्यावसायिक सेवाओं, पुनर्वास सेवाओं सहित बुनियादी जरूरतों के लिए पात्रता निर्धारित करने में मदद करते हैं; विकास केंद्र; गोद लेने वाली एजेंसियां; ऐसे व्यवसाय जो आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों, शारीरिक, बौद्धिक और / या विकासात्मक विकलांग व्यक्तियों, या अन्यथा जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए भोजन, आश्रय और सामाजिक सेवाएं और जीवन की अन्य आवश्यकताएं प्रदान करते हैं।

मानव सेवाओं को वृहद् रूप में संचालित किया जायेगा जिससे कि मानव सेवाओं पर पड़नेवाले किसी भी प्रभाव को टाला जा सके, व्यापक रूप से परिभाषित।

9. **<u>आवश्यक बुनियादी ढांचे</u>।** इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति किसी भी ऐसे कार्य को करने या कोई भी ऐसी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से घर से बाहर जा सकता है, जो आवश्यक बुनियादी ढांचे के संचालन, रखरखाव, मरम्मत और सुचारू रखने के लिए आवश्यक हो।

आवश्यक बुनियादी ढाँचे में शामिल चीज़ें इस प्रकार हैं, परन्तु यह केवल इन तक ही सीमित नहीं है: खाद्य उत्पादन, वितरण और बिक्री; निर्माण (सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, अस्पताल निर्माण, दीर्घकालिक देखभाल सुविधाओं के निर्माण, सार्वजनिक कार्यों के निर्माण और आवास निर्माण, सहित, परन्तु केवल इन तक ही सीमित नहीं);

भवन प्रबंधन और रखरखाव; हवाई अड्डे का संचालन; पानी, सीवर और गैस सहित उपयोगिताओं का संचालन और रखरखाव; विद्युत (बिजली उत्पादन, वितरण और कच्चे माल का उत्पादन सहित); वितरण केंद्र; तेल और जैव ईंधन शोधन; सड़कें, राजमार्ग, रेलमार्ग और सार्वजनिक परिवहन; बंदरगाह; साइबर सुरक्षा संचालन; बाढ़ नियंत्रण; ठोस अपशिष्ट और रीसाइक्लिंग संग्रह और निष्कासन; तथा इंटरनेट, वीडियो और दूरसंचार प्रणाली (कंप्यूटिंग सेवाओं, व्यापार के बुनियादी ढांचे, संचार और वेब-आधारित सेवाओं के लिए आवश्यक वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय बुनियादी ढांचे सहित)।

बुनियादी ढांचे को किसी भी प्रभाव से बचाने के लिए, विस्तारपूर्वक परिभाषित किये गए, आवश्यक बुनियादी ढांचे का मतलब विस्तृत अर्थों में लिया जाएगा।

10. **आवश्यक सरकारी कार्य।** इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए, सभी प्रथम उत्तरदाता, आपातकालीन प्रबंधन कर्मी, आपातकालीन डिस्पैचर, न्यायालय कर्मी, कानून प्रवर्तन और सुधार कर्मी, खतरनाक सामग्री उत्तरदाता, बाल संरक्षण और बाल कल्याण कर्मी, आवास और आश्रय कर्मी, सैन्य, तथा आवश्यक व्यवसाय और संचालन को सपोर्ट करने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से इस कार्यकारी आदेश द्वारा छूट दी गई है।

आवश्यक सरकारी कार्य का अर्थ उन सभी सेवाओं से है जो राज्य या किसी भी नगर निगम, टाउनशिप, काउंटी, उपखंड या सरकार की एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती हैं और सरकारी एजेंसियों के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने या जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने या समर्थन करने के लिए आवश्यक है, और जिसमें आवश्यक सरकारी कार्य करने वाले ठेकेदारों भी शामिल हैं। प्रत्येक सरकारी निकाय अपने आवश्यक सरकारी कार्यों का निर्धारण करेगा और उन कार्यों पूरा करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों और/या ठेकेदारों की पहचान करेगा।

यह कार्यकारी आदेश संयुक्त राज्य की सरकार पर लागू नहीं होता है। इस कार्यकारी आदेश का कोई भी हिस्सा आवश्यक सरकारी कार्यों को करने या उन तक पहुँचने से किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

11. **<u>इस कार्यकारी आदेश द्वारा कवर किए गए व्यवसाय</u>** इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए, कवर किए गए व्यवसायों में सेवा की प्रकृति, किये जाने वाले कार्य, या कॉर्पोरेट या इकाई संरचना की परवाह किए बिना सभी लाभकारी, गैर-लाभकारी या शैक्षिक संस्थाएं शामिल हैं।

12. **<u>आवश्यक व्यवसाय और संचालन</u>** इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए, आवश्यक व्यवसाय और संचालन का अर्थ है, स्वास्थ्य सेवाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य संचालन, मानव सेवा संचालन, आवश्यक सरकारी कार्य और आवश्यक बुनियादी ढाँचा, और निम्नलिखित:[1]

    a. **<u>किराने का सामान और दवा की दुकानें</u>।** किराने की दुकानें, फार्मेसियां, प्रमाणित किसानों के बाजार, खेत और उपज स्टैंड, सुपर मार्केट, सुविधा भंडार, तथा वो सभी अन्य प्रतिष्ठान जो किराने का सामान, डिब्बाबंद भोजन, सूखे माल, जमे हुए खाद्य पदार्थ, ताज़े फल और सब्जियां, पालतू पशुओं की आपूर्ति, ताजा मीट, मछली, और पोल्ट्री, मादक और गैर-मादक पेय, और किसी भी अन्य घरेलू उपभोक्ता उत्पाद (जैसे सफाई और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद) की खुदरा बिक्री में लगे हुए हैं।) इसमें वो दुकानें शामिल हैं, जो किराने का सामान, दवाइयाँ, वो दवा जिसमें किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, तथा अन्य गैर-किराना उत्पाद बेचने वाले, तथा जो घरेलू और आवश्यक व्यवसायों और संचालन की सुरक्षा, स्वच्छता और आवश्यक संचालन को बनाए रखने के लिए आवश्यक उत्पाद बेचती हैं;

    b. **<u>खाद्य, पेय और भांग उत्पादन और कृषि</u>** खाद्य और पेय निर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण, और कृषि, जिसमें शामिल है खेती, पशुधन, मछली पालन, बेकिंग, तथा विपणन, उत्पादन और उपभोग के लिए जानवरों और माल के वितरण सहित अन्य उत्पादन कृषि; लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा और वयस्क उपयोग भांग औषधालय और लाइसेंस प्राप्त भांग खेती केंद्र; और जानवरों के लिए भोजन,

---

[1] 19 मार्च 2020 को, यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, साइबरस्पेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी, *ने COVID-19 रिस्पांस के दौरान आवश्यक क्रिटिकल ढांचा कर्मियों की पहचान पर ज्ञापन जारी किया।* इस आदेश में आवश्यक व्यवसाय और संचालन की परिभाषा उस ज्ञापन में पहचाने गए श्रमिकों को शामिल करने के लिए है।

आश्रय और जानवरों के लिए जीवन की अन्य आवश्यकताएं प्रदान करने वाले व्यवसाय, जिनमें पशु आश्रय, बचाव, आश्रय, केनेल और गोद लेने की सुविधा शामिल है;

c. **<u>संगठन जो धर्मार्थ और सामाजिक सेवाएं प्रदान करते हैं।</u>** व्यवसाय और धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष गैर-लाभकारी संगठन, जिसमें खाद्य बैंक शामिल हैं, जब वे भोजन, आश्रय, और सामाजिक सेवाएं प्रदान करते हैं, और आर्थिक रूप से वंचित या अन्यथा जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए जीवन की अन्य आवश्यकताएं प्रदान करते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्हें इस आपातकाल के परिणामस्वरूप सहायता की आवश्यकता होती है, और विकलांग लोग;

d. **<u>मीडिया</u>** समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो और अन्य मीडिया सेवाएं;

e. **<u>गैस स्टेशन और परिवहन के लिए आवश्यक व्यवसाय।</u>** गैस स्टेशन और ऑटो-सप्लाई, ऑटो-मरम्मत, और संबंधित सुविधाएं और साइकिल की दुकानें और संबंधित सुविधाएं;

f. **<u>वित्तीय संस्थाए।</u>** बैंक, मुद्रा विनिमय, उपभोक्ता ऋणदाता, सहित परंतु सीमित नहीं, पेडे ऋणदाता, गिरवीदार, उपभोक्ता किस्त ऋणदाता और बिक्री वित् ऋणदाता, क्रेडिट यूनियनों, अप्रेजर , टाइटल कंपनी, वित्तीय बाजार, व्यापार और वायदा एक्सचेंज, वित्तीय संस्थानों के सहयोगी, बांड जारी करने वाली संस्थाएं, संबंधित वित्तीय संस्थान और वित्तीय उत्पाद बेचने वाले संस्थान;

g. **<u>हार्डवेयर और आपूर्ति स्टोर और ग्रीनहाउस, उद्यान केंद्र, और नर्सरी।</u>** हार्डवेयर स्टोर और व्यवसाय जो इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग और हीटिंग का सामान बेचते हैं, और ग्रीनहाउस, उद्यान केंद्र और नर्सरी;

h. **<u>महत्वपूर्ण व्यवसाय</u>**। भवन और निर्माण ट्रेड्समैन और ट्रेड्सवीमेन, और अन्य व्यवसाय जिनमें शामिल हैं परंतु सीमित नहीं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, व्यवसायिक और सरकारी संपत्तियों के लिए सफ़ाई और जेनिटोरयल कर्मचारी, सुरक्षा कार्य में लगा स्टाफ, ऑपरेटिंग इंजिनियर, HVAC, पेंटिंग, मूविंग और रिलोकेशन सेवाएं, और

अन्य सेवा प्रदाता जो निवासों, अत्यावश्यक कार्यों, और अत्यावश्यक व्यवसायों और गतिविधियों के लिए ऐसी जरुरी सेवाएं प्रदान करते हैं जो इनकी सुरक्षा, सफ़ाई, और अन्य आवश्यक कार्य जारी रखने के लिए जरुरी हैं;

i. **<u>मेल, पोस्ट, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी और पिक-अप सेवाएं।</u>** डाकघर और अन्य व्यवसाय जो शिपिंग और वितरण सेवाएं प्रदान करते हैं, और व्यवसाय जो अंतिम उपभोक्ताओं को या वाणिज्यिक चैनलों के माध्यम से किराने का सामान, भोजन, मादक और गैर-मादक पेय, माल या सेवाएं प्रदान करते हैं;

j. **<u>शिक्षण संस्थान।</u>** शिक्षण संसथान---पब्लिक और निजी पूर्व K-12 स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों सहित---दूरस्थ शिक्षा को सुविधाजनक बनाने, महत्वपूर्ण शोध करने या आवश्यक कार्य करने के प्रयोजनों के लिए, बशर्ते कि प्रति व्यक्ति छह फीट की सामाजिक दूरी को यथासंभव अधिकतम सीमा तक बनाए रखा जाए। अगर सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाए, तो शैक्षिक संस्थान आवश्यक आपूर्ति और/या छात्रों के सामान को छात्रावास के बाहर ले जाने की अनुमति दे सकते हैं और इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं। यह शासकीय आदेश कार्यकारी आदेश 2020-05 (COVID-19 शासकीय आदेश संख्या 3) या शासकीय आदेश 2020-06 (COVID-19 शासकीय आदेश संख्या 4) के साथ सुसंगत है और उसमें संशोधन नहीं करता या उसका स्थान नहीं लेता।सिवाय इसके कि प्रभावित स्कूलों को 7 अप्रैल, 2020 की तारीख, जो उन आदेशों में दर्शाई गई है, के बाद के समय के लिए भी बंद कर दिया गया है।

k. **<u>लॉन्ड्री सेवाएं</u>**। लॉन्ड्रोमैट, ड्राई क्लीनर, कपड़े धोने की औद्योगिक सेवाएं और लॉन्ड्री सेवा प्रदाता;

l. **<u>परिसर के बाहर उपभोग के लिए रेस्टोरेंट</u>**। रेस्टोरेंट और अन्य सुविधाएं जो भोजन तैयार करती हैं और सेवा करती हैं, लेकिन केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए, इन-हाउस डिलीवरी, थर्ड-पार्टी डिलीवरी, ड्राइव-थ्रू, कर्बसाइड पिक-अप और कैरी-आउट जैसे साधनों के माध्यम से। स्कूल और अन्य संस्थाएं जो आम तौर पर छात्रों या जनता के सदस्यों को भोजन सेवाएं प्रदान करती हैं, इस कार्यकारी

आदेश के तहत इस शर्त पर ऐसा करना जारी रख सकती हैं की छात्रों या आम जनता को केवल पिकअप और टेकअवे के आधार पर ही भोजन प्रदान किया जाएगा। स्कूल और अन्य संस्थाएँ जो इस छूट के तहत खाद्य सेवाएँ प्रदान करती हैं, वे भोजन को उस स्थान पर खाने की अनुमति नहीं देंगी जहाँ यह प्रदान किया जाएगा, या किसी अन्य सभा स्थल पर, क्योंकि वायरस की प्रवृत्ति है कि वह भौतिक रूप से सतहों और व्यक्तिगत संपत्ति को प्रभावित करता है। यह शासकीय आदेश, शासकीय आदेश 2020-07 (COVID-19 शासकीय आदेश संख्या 5) की धारा 1 (Section 1 of Executive Order 2020-07 (COVID-19 Executive Order No. 5) के साथ संगत है और उसमें संशोधन नहीं करता या उसका स्थान नहीं लेता, <u>सिवाय इसके</u> कि धारा 1 को 7 अप्रैल, 2020 तक विस्तारित करने का आदेश दिया गया है;

m. **<u>वर्क फ्रॉम होम के लिए आपूर्ति</u>**। लोगों को घर से काम करने के लिए आवश्यक उत्पाद बेचने, निर्माण या आपूर्ति करने वाले व्यवसाय;

n. **<u>आवश्यक व्यवसाय और गतिविधियों के लिए आपूर्ति।</u>** ऐसे व्यवसाय जो अन्य आवश्यक व्यवसायों और गतिविधियों के संचालन के लिए जरुरी सपोर्ट देते या सामान बेचते, निर्माण करते या सप्लाई करते हैं। जिनमें शामिल हैं कंप्यूटर, ऑडियो और वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण; आईटी और दूरसंचार उपकरण; हार्डवेयर, पेंट, फ्लैट ग्लास; विद्युत, प्लंबिंग और हीटिंग सामग्री; सफाई के उपकरण; व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद; भोजन, खाद्य योजक, सामग्री और घटक; चिकित्सा और आर्थोपेडिक उपकरण; ऑप्टिक्स और फोटोग्राफी उपकरण; डायग्नोस्टिक्स, खाद्य और पेय पदार्थ, रसायन, साबुन और डिटर्जेंट; और बचाव और सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए आग्नेयास्त्र और गोला बारूद आपूर्तिकर्ता और खुदरा विक्रेता;

o. **<u>परिवहन</u>।** एयरलाइंस, टैक्सी, परिवहन नेटवर्क प्रदाता (जैसे कि उबर और लिफ़्ट), वाहन किराए पर देने वाली सेवाएं, पैराट्रांसिट, और अन्य निजी, सार्वजनिक, और वाणिज्यिक परिवहन और लोजिस्टिक्स प्रदाता जो आवश्यक गतिविधियों और अन्य उद्देश्यों के लिए जरुरी हैं और जिन्हें इस शासकीय आदेश में स्पष्ट रूप से अधिकृत किया गया है;

p. **<u>घर पर की जाने वाली देखभाल और सेवाएं।</u>** वयस्कों, वरिष्ठों, बच्चों, और/या विकासात्मक विकलांग, बौद्धिक विकलांग, वस्तुओं का उपयोग करने संबंधी विकार और/या मानसिक बीमारी वाले लोगों के लिए घर पर की जाने वाली देखभाल, इनमें शामिल हैं देखभाल करने वाले जैसे कि आया जो देखभाल प्रदान करने के लिए बच्चे के घर की यात्रा कर सकती हैं, और भोजन वितरण सहित अन्य इन-होम सेवाएं;

q. **<u>आवासीय सुविधाएं और आश्रय।</u>** वयस्कों, वरिष्ठों, बच्चों और/या विकासात्मक विकलांग लोगों, बौद्धिक विकलांगों, वस्तुओं के उपयोग संबंधी विकारों और/या मानसिक बीमार लोगों के लिए आवासीय सुविधाएं और आश्रय;

r. **<u>व्यवसायी सेवाएँ</u>** व्यावसायिक सेवाएँ, जैसे कानूनी सेवाएँ, लेखा-जोखा सेवाएँ, बीमा सेवाएँ, अचल संपत्ति सेवाएँ (मूल्यांकन और शीर्षक सेवाएँ सहित);

s. **<u>इस कार्यकारी आदेश द्वारा कर्मचारियों के लिए डे केयर सेंटरों को राहत</u>** जिन इमरजेंसी डे केयर प्रोग्राम को इलिनोइस एडमिनिस्ट्रेटिव कोड 89, की धारा 407.500 के तहत आपातकालीन लाइसेंस प्राप्त ऐसे इमरजेंसी डे केयर प्रोग्राम को छूट प्राप्त कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक इस कार्यकारी आदेश द्वारा काम करने के लिए अनुमति दी गयी है। यहां चाइल्ड केयर एक्ट की धारा 4, 225 ILCS 10/4 के अनुसार डे केयर होम के लिए लाइसेंस की आवश्यकताएं, ऐसे परिवार के घरों के लिए निलंबित कर दी जाती हैं, जिस परिवार में Gubernatorial Disaster Proclamation; की अवधि के दौरान 6 बच्चे तक हों;

t. **<u>महत्वपूर्ण उत्पादों और उद्योगों के लिए निर्माण, वितरण और आपूर्ति श्रृंखला</u>** विनिर्माण कंपनियों, वितरकों, और आपूर्ति श्रृंखला और दवाइयों, प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, रसायन और स्वच्छता, अपशिष्ट पिक और निपटान, कृषि, खाद्य और पेय, परिवहन, ऊर्जा, इस्पात जैसे उद्योगों में आवश्यक उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति करने वाली आपूर्ति कंपनियां और इस्पात उत्पाद, पेट्रोलियम और ईंधन, खनन, निर्माण, राष्ट्रीय रक्षा, संचार, साथ ही अन्य आवश्यक व्यवसाय और संचालन द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पाद;

u. **<u>महत्वपूर्ण मजदूर यूनियन गतिविधियाँ</u>**. मजदूर यूनियन आवश्यक गतिविधियाँ जिसमें स्वास्थ्य और कल्याण कोषों का प्रशासन और आवश्यक व्यवसायों और संचालन में सेवाएं प्रदान करने वाले सदस्यों की सुरक्षा और सुरक्षा की जाँच शामिल है - बशर्ते कि ये जाँच जहाँ संभव हो वहाँ दूर से या टेलीफोन द्वारा की जानी चाहिए;

v. **<u>होटल और मोटल</u>** होटल और मोटल, भोजन और खाने-पीने क लॉजिंग और डिलीवरी या कैरी-आउट सेवाओं तक; और

w. **<u>अंतिम संस्कार सेवाएं</u>**. अंतिम संस्कार, मुर्दाघर, श्मशान, दफनाना, कब्रिस्तान, और संबंधित सेवाएं।

13. **<u>न्यूनतम बुनियादी और आधारभूत क्रियाएँ</u>** इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए, न्यूनतम बेसिक ऑपरेशंस में निम्नलिखित शामिल हैं, बशर्ते कि कर्मचारी ऐसे कार्यों को करते समय, सोशल डिस्टेंसिंग रिक्वायरमेंट्स का अनुपालन करें।

a. व्यवसाय के भौतिक संयंत्र और उपकरणों की स्थिति को बनाए रखना, सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्रक्रिया पेरोल और कर्मचारी लाभ, या संबंधित कार्यों के लिए व्यवसाय की सूची के मूल्य को बनाए रखने के लिए न्यूनतम आवश्यक गतिविधियां।

b. व्यवसाय के कर्मचारियों की सुविधा के लिए न्यूनतम आवश्यक गतिविधियाँ जो उनके आवासों से दूर काम करना जारी रखने में सक्षम हैं।

c. रिटेल स्टोर्स के लिए, स्टोर या डिलीवरी के बाहर पिक-अप के माध्यम से ऑनलाइन और टेलिफोनिक ऑर्डर को पूरा करना।

14. **<u>आवश्यक यात्राएँ</u>** इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए, आवश्यक यात्रा में निम्नलिखित में से किसी भी उद्देश्य के लिए की गयी यात्रा शामिल है। किसी भी आवश्यक यात्रा में लगे व्यक्तियों को इस धारा में निर्धारित की गयीं सभी सामाजिक दूरियों की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।

a. आवश्यक गतिविधियों, आवश्यक सरकारी कार्यों, आवश्यक व्यवसायों और संचालन, या न्यूनतम बुनियादी कार्यों तक पहुंच या प्रावधान से संबंधित कोई भी यात्रा।

b. बुजुर्गों, नाबालिगों, आश्रितों, विकलांग व्यक्तियों या अन्य कमजोर व्यक्तियों की देखभाल के लिए की गयी कोई भी यात्रा।

c. दूरस्थ शिक्षा के लिए सामग्री प्राप्त करने, भोजन प्राप्त करने के लिए और किसी भी अन्य संबंधित सेवाओं के लिए शिक्षण संस्थानों से की गयी कोई भी यात्रा।

d. क्षेत्राधिकार के बाहर से निवास स्थान पर लौटने के लिए की गयी यात्रा।

e. कानून प्रवर्तन या अदालत के आदेश द्वारा आवश्यक यात्रा, जिसमें हिरासत समझौते के अनुसार बच्चों को लाना-ले जाना शामिल है।

f. गैर-निवासियों को राज्य के बाहर अपने निवास स्थान पर लौटने के लिए की गयी आवश्यक यात्रा। व्यक्तियों को यह सत्यापित करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है कि राज्य से बाहर उनका आने-जाने ऐसी यात्रा करने की सुविधाए मिलती रहेंगी।

15. **<u>सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवरिंग, और PPE आवश्यकताएँ</u>** इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग रिक्वायरमेंट में अन्य व्यक्तियों से कम से कम छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखना, कम से कम बीस सेकंड के लिए साबुन और पानी से हाथ धोना या जितनी बार संभव हो, हाथ सैनिटाइज़र का उपयोग करना, खांसी या छींक को कवर करना (आस्तीन या कोहनी से, हाथों से नहीं), नियमित रूप से उच्च स्पर्श सतहों की सफाई, और हाथ नहीं मिलाना है।

a. **<u>आवश्यक उपाय</u>** सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिएआवश्यक व्यवसाय और संचालन और न्यूनतम बेसिक ऑपरेशंस में लगे व्यवसायों को जहां संभव हो, सक्रिय कदम उठाने होंगेः

i. **<u>छह फुट की दूरी</u>** लाइन में उचित दूरी बनाए रखने के लिए कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए साइनेज, टेप या अन्य माध्यमों से छह फुट की दूरी;

ii. **<u>हैंड सैनेटाइजर्स और सैनेटाइज उत्पाद</u>** कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए आसानी से उपलब्ध हैंड सैनेटाइजर्स और सैनेटाइज उत्पाद

iii. **<u>अतिसंवेदनशील आबादी के लिए अलग परिचालन घंटे</u>** बुजुर्गों और अतिसंवेदनशील ग्राहकों के लिए अलग परिचालन घंटे लागू करना; तथा

iv. **<u>ऑनलाइन और रिमोट एक्सेस</u>** ऑनलाइन पोस्ट करना कि क्या एक सुविधा सार्वजनिक खुली है और सुविधा तक पहुंचने के लिए और फोन या रिमोट द्वारा सेवाएं जारी रखना कितना सर्वश्रेष्ठ है।

v. **<u>फेस कवरिंग और PPE</u>**. कर्मचारियों को उचित फेस कवरिंग के साथ प्रदान करना और जहां हर समय छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखना संभव नहीं है, वहाँ यह आवश्यक है कि कर्मचारी फेस कवरिंग पहनें। काम की परिस्थितियों के अनुसार फेस कवरिंग के अलावा अन्य PPE कर्मचारियों को प्रदान करना।

16. **<u>इस कार्यकारी आदेश का आशय</u>** इस कार्यकारी आदेश का आशय यह सुनिश्चित करना है कि अपने निवास स्थान के लिए अधिकतम संख्या में लोग अधिकतम संभव सीमा तक स्वयं को अलग-थलग करना है, आवश्यक सेवाओं को जारी रखने हेतु COVID-19 के प्रसार को सबसे बड़ी सीमा तक करना। जब भी लोगों को अपने निवास स्थान छोड़ने की आवश्यकता हो, चाहे कितनी भी आवश्यक गतिविधियां करना हो, या अन्यथा सामाजिक और व्यावसायिक जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक अधिकृत गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना हो, उन्हें हर समय और जितना संभव हो सके, सामाजिक दूरी का अनुपालन करना चाहिए। इस आशय को प्रभावी करने के लिए इस कार्यकारी आदेश के सभी प्रावधानों की व्याख्या की जानी चाहिए। इस कार्यकारी आदेश द्वारा विशेष रूप से बिना जरूरत वाले व्यवसायों को आम तौर पर अपनी गतिविधियों को कम करना चाहिए और न्यूनतम बुनियादी संचालन को कम करना चाहिए।

17. **<u>लागू करना</u>** इलिनोइस आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20 ILCS 3305 की धारा 7, धारा 15, धारा 18 धारा 19 और, *अन्य बातों के साथ*, यह कार्यकारी आदेश राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन द्वारा लागू किया जाऐगा।

गवर्नर का कार्यालय, इलिनोइस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक ऑपर्चुनिटी, और स्टेट और स्थानीय कानून प्रवर्तन के बारे में कि क्या वे आवश्यक रूप से योग्य हैं; और इलिनोइस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं के संबंध में इलिनोइस अटॉर्नी जनरल के कार्यालय द्वारा दिए गए या प्रकाशित किए गए मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। व्हिसलब्लोअर एक्ट की धारा 25 (बी), 740 ILCS 174 के अनुसार, व्यवसायों को जानकारी का खुलासा करने के लिए कर्मचारी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से प्रतिबंधित किया जाता है, जहां कर्मचारी के पास यह मानने का उचित कारण है कि उक्त जानकारी इस आदेश का उल्लंघन है।

18. **<u>अधिकार पर कोई सीमा नहीं</u>** इस कार्यकारी आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं, जो किसी भी तरह से, राज्य या किसी भी काउंटी, या स्थानीय सरकारी निकाय को आदेश देने (1) किसी भी संगरोध या अलग रखने की अनुमति देने वाले किसी भी मौजूदा कानूनी अधिकार में परिवर्तन या संशोधन करेगा, बस इसे इस लोक स्वास्थ्य आपातकाल की अवधि समेत सीमित अवधि के लिए किसी व्यक्ति को किसी विशेष आवासीय क्षेत्र या चिकित्सा परिक्षेत्र के अंदर रहने के लिए निर्देशित करने की आवश्यकता हो सकती है या, (2) आपातकालीन लोक स्वास्थ्य की अवधि समेत सीमित अवधि के लिए बंद करने या किसी विशिष्ट स्थान में जाने पर भी रोक लगाई जा सकती है। इस कार्यकारी आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो किसी भी तरह से, किसी भी मौजूदा कानूनी प्राधिकरण को परिवर्तित या संशोधित कर सकता है जो काउंटी या स्थानीय सरकारी निकाय को उन प्रावधानों को लागू करने की अनुमति देता है जो इस कार्यकारी आदेश में उन लोगों की तुलना में सख्त हैं।

अनुभाग 3. बचत खंड (सेविंग्स क्लॉज़).

यदि इस शासकीय आदेश का कोई प्रावधान या इसका प्रयोग किसी व्यक्ति या परिस्थिति विशेष में किसी सक्षम अधिकार-क्षेत्र के न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी

अन्य प्रावधान या प्रयोग को प्रभावित नहीं करती है, जिसे अमान्य प्रावधान के बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को गंभीर घोषित किया गया है। इस कार्यकारी आदेश के संबंध में यह कार्यकारी आदेश का आशय किसी भी न्यायालय के आदेश के साथ पढ़ा जाना है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker),
राज्यपाल (Governor)

राज्यपाल द्वारा 30 अप्रैल, 2020 को जारी
राज्य सचिव (Secretary of State) द्वारा 30 अप्रैल, 2020 को दर्ज